



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 12, 1977/पौष 22, 1898

No. 11]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 12, 1977/PAUSA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 12th January 1977

S.O. 17(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby notifies for the purposes of the said sub-section the following professions, namely:—

- (a) the profession of authorised representative; and
- (b) the profession of film artist.

Explanation.—In this notification,—

- (a) "authorised representative" means a person who represents any other person, on payment of any fee or remuneration, before any tribunal or authority constituted or appointed by or under any law for the time being in force, but does not include an employee of the person so represented or a person carrying on legal profession or a person carrying on the profession of accountancy;

- (b) "film artist" means any person engaged in his professional capacity in the production of a cinematograph film, whether produced by him or by any other person, as—
- (i) an actor;
 - (ii) a cameraman;
 - (iii) a director, including an assistant director;
 - (iv) a music director, including an assistant music director;
 - (v) an art director, including an assistant art director;
 - (vi) a dance director, including an assistant dance director;
 - (vii) an editor;
 - (viii) a singer;
 - (ix) a lyricist;
 - (x) a story writer;
 - (xi) a screen-play writer;
 - (xii) a dialogue writer; and
 - (xiii) a dress designer;

[No. 1619/F. No. 133(97)/76-TPL.]

S. N. SHENDE, Secy.

Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1977

क्र० 17 (अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वृत्तियों को इस आदेश द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

- (क) प्राधिकृत प्रतिनिधि की वृत्ति; और
- (ख) फिल्मी कलाकार की वृत्ति।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में,—

- (क) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो फीस या पारिश्रमिक दिए जाने पर, किसी अधिकरण अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अथवा उसके अधीन गठित या नियुक्त किए गए प्राधिकारी के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, किन्तु इसमें इस प्रकार जिस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है उसका कर्मचारी या विधिक-कार्य वृत्ति कर रहा अथवा लेखाकार्य वृत्ति कर रहा कोई व्यक्ति नहीं आता ;
- (ख) "फिल्मी कलाकार" से सिनेमा फिल्मों के निर्माण में, जिसका निर्माण चाहे वह स्वयं कर रहा हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो,

निम्नलिखित हैसियत से अपनी वृत्ति के रूप में अपनाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, अर्थात्—

- (i) कलाकार ;
- (ii) कैमरामैन ;
- (iii) निदेशक, जिसमें सहायक निदेशक भी आता है ;
- (iv) संगीत निदेशक, जिसमें सहायक संगीत निदेशक भी आता है ;
- (v) कला निदेशक, जिसमें सहायक कला निदेशक भी आता है ;
- (vi) नृत्य निदेशक, जिसमें सहायक नृत्य निदेशक भी आता है ;
- (vii) सम्पादक (एडीटर) ;
- (viii) गायक ;
- (ix) गीतकार ;
- (x) कथा लेखक ;
- (xi) मंच कथा लेखक ;
- (xii) संवाद लेखक, तथा
- (xiii) ड्रेस डिजाईनकर्ता

[सं० 1619/फा० सं० 133(97)/76-टी० पी० एल०]

एस० एन० शेंडे,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977